



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26272

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1735/2026

राम बहादुर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, संयम तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय गौतम, जिन्हें सुश्री आर्य गौतम, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 15.02.1988 को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2022 में विभागीय लिपिकीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्ता को उप-निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वर्ष 2022 में उनका चयन यातायात पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए किया गया था और उसके बाद यातायात निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से याचिकाकर्ता को कानपुर देहात में यातायात पुलिस में स्थानांतरित/तैनात किया गया है। तैनाती आदेश के अनुसार, उनका नाम क्रम संख्या 217 पर है। रिट याचिकाकर्ता ने 06.03.2025 को कानपुर देहात की यातायात पुलिस में उप-निरीक्षक के रूप में स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, पंचम प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.12.2025 के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को पुलिस लाइन्स स्थानांतरित कर दिया गया है।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश एक से अधिक कारणों से कायम नहीं रखा जा सकता। उनके अनुसार, प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2006) 8 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुपालन में 12.03.2008, 02.12.2010 और 26.12.2010 को शासनादेश जारी किए गए थे। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में लागू शर्तों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है। उनका स्थानांतरण केवल दो वर्ष पूरे होने के बाद ही किया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि शासनादेश दिनांक 26.12.2010 के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को स्थानान्तरित करने के लिए कोई भी शर्त लागू नहीं होती है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है और याचिकाकर्ता के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी नहीं लिया गया है।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामला जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 5/पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।
6. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए और समग्र तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता को 20.02.2026 तक रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त आवेदन पर उसके एक महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"